# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एसडीओ) सेड़वा जिला बाड़मेर

**राजस्व आवेदन सं. 221/2024**
**पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस**

## राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अधिवक्तागण–प्रार्थीगण वकील –**श्री मोहनलाल खिलेरी**
विप्रार्थीसंख्या 01 व 02 के वकील –**श्री बाबूलाल विश्नोई**

| प्रार्थीगण | विप्रार्थीगण |
|---|---|
| 1. भगाराम पुत्र धोकलाराम<br>2. बाबूलाल पुत्र धोकलाराम<br>3. चैनाराम पुत्र धोकलाराम<br>जातियान सुथार निवासीगण सगरवाव तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। | 1. मांगीलाल पुत्र चौथाराम<br>2. किरताराम पुत्र चौथाराम<br>3. अन्तरी पत्नी चौथाराम<br>जातियान सुथार निवासीगण सगरवाव तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।<br>4. शाखा प्रबन्धक, बीसीसीबी शाखा सेड़वा<br>5. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा सेड़वा<br>6. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा धोरीमन्ना।<br>7. शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई शाखा रामजी का गोल<br>8. तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर। |

### –::निर्णय::–

दिनांक :– 21.07.2025

प्रार्थीगण भगाराम पुत्र धोकलाराम जाति सुथार निवासी सगरवाव तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 संक्षेप में इस प्रकार है कि प्राथीगण के खातेदारी का खेत मौजा सगरवाव पटवार क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 174/104 रकबा 1–6592 हैक्टेयर(10.05 बीघा), खसरा संख्या 173/112 रकबा 6–0297 हैक्टेयर(37.05 बीघा) किस्म बारानी दोयम आए हुए है, जो भूमि प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके, लाटा आदि बने हुए है। प्रार्थीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 01 से 03 की खसरा नम्बर 104, 112 रकबा 6–6773 हैक्टेयर व 0–3804 हैक्टेयर किस्म बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

दोयम मौजा सगरवाव में आए हुए हैं जो समस्त भूमि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के संयुक्त खातेदारी की मूल खसरा नम्बर 104 व 112 मौजा सगरवाव में स्थित थी, जिसे प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने राजस्व वाद संख्या 11/2016 अनवान मांगीलाल बनाम भगाराम वगैरा में जरिए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2018 के बंटवाड़ा करवाया गया था, जिससे मूल खसरा नम्बर 104 व 112 का विभाजन होकर अलग अलग प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम से दर्ज हो गए तथा सहमति विभाजन के अनुसार ही प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 03 अलग अलग काश्त करते है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के मूल खेत खसरा नम्बर 104 व 112 का विभाजन प्रस्ताव व बंटवाड़े के समय जो नक्शा तैयार किया गया, वह सही तैयार किया गया तथा इसी अनुसार पक्षकारान् का मौके पर कब्जा काश्त था, परन्तु बंटवाड़े के बाद जब हल्का पटवारी ने लट्ठा ट्रेस में अलग–अलग तरमीम की गई थी, जो तरमीम मौके पर कब्जा काश्त व सहमति बंटवाड़े में संलग्न नक्शे के अनुसार नहीं की गई तथा लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के मौजूद कब्जा काश्त में भारी अन्तर है तथा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 174/104 रकबा 1–6592 हैक्टेयर (10.05 बीघा) के अनुसार तरमीम नहीं कर 08.02 बीघा की तरमीम की गई है, जो वास्तविक रकबा से 02.03 बीघा भूमि कर तरमीम की गई है तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 03 की भूमि खसरा नम्बर 104 के अधिक रकबे की तरमीम कर दी गई है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने वादग्रस्त भूमि की मौके की जांच किए बिना एवं सही ढंग से वाद व विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा का अवलोकन किए बिना ही पक्षकारान् के कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम नहीं की गई तथा गलत तरमीम कर दी गई, जिससे प्रार्थीगण का हित पूर्णतया प्रभावित हो रहा है। राजस्व कर्मचारियों को प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की भूमि की तरमीम वाद व विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार करनी थी, परन्तु राजस्व अधिकारियों ने मौके पर न जाकर तथा मौके की जांच किए बिना व विभाजन प्रस्ताव के नक्शे का सही ढंग से अवलोकन किए बिना ही गलत तरमीम कर दी है तथा गलत रूप से की गई तरमीम से प्रार्थीगण की ढाणियां, पानी के टांके, चारबाड़े वगैरा विप्रार्थी संख्या 01 से 03 की तरमीम में चली गई है, इसलिए सहमति बंटवाड़ा के संलगन नक्शे के अनुसार तरमीम को प्रार्थीगण दुरुस्त करवाने के विधिक अधिकारी है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर मौजूद कब्जा [illegible] अनुसार नहीं करके गलत(अशुद्ध) तरमीम कर दी गई अर्थात् लट्ठा ट्रेस की तरमीम व [illegible] कब्जा काश्त की स्थिति व विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा की तरमीम की [illegible] भिन्नता है तथा लट्ठा ट्रेस की

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:36:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

तरमीम के अनुसार प्रार्थीगण की ढाणी, टांके व चारबाड़े आदि विप्रार्थीगण के खसरे में चले गए है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खेत के कब्जा काश्त व सहमति बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम शृद्धिकरण करवाना चाहते है, जिस हेतु यह तरमीम शुद्धि का प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के पुराने कब्जे काश्त के अनुसार मौके पर संलग्न विभाजन प्रस्ताव में शामिल नजरी नक्शे के अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु वादग्रस्त खेत की मौके पर कब्जा काश्त की जांच किए बिना ही लट्ठा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गई, जो मौके पर वर्तमान कब्जा काश्त के अनुसार नहीं की गई है। लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 01 से 03 का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है इसलिए प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की भूमि मौजा सगरवाव पटवार क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 174/104 रकबा 1.6592 हैक्टेयर(10.05 बीघा), खसरा संख्या 173/112 रकबा 6–0297 हैक्टेयर(37.05 बीघा) तथा विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के खेत खसरा नम्बर 104, 112 रकबा क्रमशः 6–6773 हैक्टेयर व 0–3804 हैक्टेयर मौजा सगरवाव की लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को दुरुस्त कर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस सही तरमीम वाद पत्र संख्या 11/2016 के निर्णय दिनांक 06.06.2018 विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दुरुस्त (शुद्धिकरण) करवाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण वकील द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश करने पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश 221/2024 दिनांक 24.07.2024 मौजा सगरवाव पटवार क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 174/104 रकबा 1.6592 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 173/112 रकबा 6–0297 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 104 रकबा 6–6773 हैक्टेयर व खसरा संख्या 112 रकबा 0–3804 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि में न्यायालय द्वारा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया गया।

अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्थगन आदेश व अस्थायी निषेधाज्ञा में लिखित जवाब पेश कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया, जिसे शामिल पत्रावली किया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

वकील विप्रार्थीगण ने लिखित जवाब में कथन किया कि प्रार्थीगण ने राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया है, जो तथ्यहीन व सारहीन होने से सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 104 व 112 मौजा सगरवाव का राजस्व वाद संख्या 11/2016 अनवान मांगीलाल बनाम भगाराम वगैरा जरिए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.06.2018 के आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाया गया। उसी बंटवाड़ा आदेश की पालना में मौके पर विभाजन करके अलग–अलग खसरा कायम किये गये व विभाजन करके अलग से खसरे कायम करके विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ही लट्टा ट्रेस में अलग से तरमीम की गई व खतौनी में अलग खसरा कायम करके रकबा दर्ज किया गया व उसी अनुसार आज दिनांक तक लट्ठा ट्रेस में नक्शा बना हुआ है व रकबा भी सही दर्ज किया हुआ है। प्रार्थीगण विप्रार्थीगण को परेशान करने की दुर्भावना से धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा का नाप करवाए बिना ही मनमाने ढंग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है व विप्रार्थीगण की खेत की सीमा को तोड़ने का प्रयास किया व प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत में घुसकर अतिक्रमण का प्रयास किया व अवैधानिक रूप से कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की तरमीम विभाजन प्रस्ताव के अनुसार की गई है, अलग से तरमीम नहीं की गई है। प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त विप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः निवेदन है कि मौजा सगरवाव पटवार हल्का फागलिया तहसील सेड़वा के खसरा संख्या 174/104 रकबा 1.6592 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 173/112 रकबा 6–0297 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 104 रकबा 6–6773 हैक्टेयर व खसरा संख्या 112 रकबा 0–3804 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम हैक्टेयर के संबंध में पारित अस्थायी निषेधाज्ञा लम्बे समय से चला रहे है व विप्रार्थीगण को नोटिस नहीं भेजकर अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश में श्रीमान के न्यायालय के आदेश अनुसार 07 दिवस के अन्दर जरिए रजिस्टर्ड नोटिस नहीं भेजे गए। इस प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण वकील ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि राजस्व कर्मचारियों ने वादग्रस्त भूमि की मौके की जांच किए बिना एवं सही ढंग से वाद व विभाजन



उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा का अवलोकन किए बिना ही पक्षकारान् के कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम नहीं की है तथा गलत तरमीम कर दी गई, जिससे प्रार्थीगण का हित पूर्णतया प्रभावित हो रहा है। राजस्व कर्मचारियों को प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की भूमि की तरमीम वाद व विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार करनी थी, परन्तु राजस्व अधिकारियों ने मौके पर न जाकर तथा मौके की जांच किए बिना व विभाजन प्रस्ताव के नक्शे का सही ढंग से अवलोकन किए बिना ही गलत तरमीम कर दी है तथा गलत रूप से की गई तरमीम से प्रार्थीगण की ढाणियां, पानी के टांके, चारबाड़े वगैरा विप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की तरमीम में चली गई है, इसलिए सहमति बंटवाड़ा के संलगन नक्शे के अनुसार तरमीम को प्रार्थीगण दुरुस्त करवाने के विधिक अधिकारी है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर मौजूद कब्जा काश्त के अनुसार नहीं करके गलत(अशुद्ध) तरमीम कर दी गई अर्थात् लट्ठा ट्रेस की तरमीम व वादग्रस्त खेत के मौके के कब्जा काश्त की स्थिति व विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा की तरमीम की भारी भिन्नता है तथा लट्ठा ट्रेस की तरमीम के अनुसार प्रार्थीगण की ढाणी, टांके व चारबाड़े आदि विप्रार्थीगण के खसरे में चले गए है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खेत के कब्जा काश्त व सहमति बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम शृद्धिकरण करवाना चाहते है इसलिए निवेदन है कि उक्त प्रकरण में ताफैसला स्थगन आदेश को कंफर्म किया जावें।

वकील उभयपक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त अवलोकन किया गया। जिस पर उभयपक्षकारान् अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध संबद्ध दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण उपरांत सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर विप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में विप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब को न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारणोपरांत स्वीकार किया जाता है तथा उक्त विवेच्य तथ्यों के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में राजस्व आवेदन संख्या 221/2024 में दिनांक 24.07.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के तहत जारी मौके एवं रेकर्ड के स्थगन को निरस्त किया जाता है तथा उक्त विवेचना के

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 युक्तियुक्त नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

21.07.2025

(बदीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.12.02 14:56:33 IST
Reason: SelfAttested